(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1170 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.09.2017 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 71/अपील/16-17.

लियाकत अली पुत्र स्व. सैयद कुर्बान अली
निवासी- जामा मस्जिद के पीछे, कस्बा गढ़ी,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. सैयद जावेद अली पुत्र सैयद ऐजाज अली
   निवासी बी-169, केन्द्रीय बिहार 2 सेक्टर 82
   नोएडा, एन.सी.आर. दिल्ली एवं
   म.नं. 1, जहांगीराबाद, भोपाल
2. अथर अली पुत्र सैयद कुर्बान अली
   निवासी- जामा मस्जिद के पीछे, कस्बा गढ़ी,
   तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, म.प्र
3. सैयद ऐजाज अली पुत्र सैयद कुर्बान अली
   निवासी म.नं. 1, जहांगीराबाद, भोपाल
4. श्रीमती रब्बन खातून पत्नी स्व. सिराजउद्दीन
   पुत्री स्व. कुर्बान अली
   निवासी- जामा मस्जिद के पीछे, कस्बा गढ़ी,
   तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, म.प्र.
5. श्रीमती नजमा खातून पत्नी स्व. असगर हुसैन सिद्दीकी
   पुत्री स्व. कुर्बान अली

निवासी ग्राम त्यौंदा, जिला विदिशा, म.प्र.

6. श्रीमती साजिदा खातून पत्नी वासित अली
पुत्री स्व. कुर्बान अली
निवासी पक्के फाटक के पीछे, बेगमगंज
जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री संजय नायक, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशफाक खान, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
श्री आर.पी. यादव, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2, 5 एवं 6
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 04.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक व अनावेदक क्र. 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज, जिला रायसेन के समक्ष मौजा गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन की संशोधन पंजी के संशोधन क्रमांक 21 प्रमाणित दिनांक 30.03.1994 के विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 35/अपील/15-16 संस्थित कर इस न्यायालय के अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन संशोधन क्रमांक 21 वसीयतनामा के आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुने बिना ही पारित किये जाने के कारण उसे निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी कुर्बान अली के वारसानों के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 31.12.2016 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक

क्र. 1 द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्र. 1 के दादा ने उसे रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 23.09.1989 के माध्यम से दे दी थी। दादाजी की मृत्यु दिनांक 20.10.1993 के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर संशोधन क्रमांक 21 प्रमाणित दिनांक 30.03.1994 से अनावेदक क्र. 1 का नाम दर्ज हुआ। अनावेदक क्र. 2 ने इस संशोधन से परिवेदित होकर पूर्व में एक अपील प्रकरण क्रमांक 33/अपील/1998-99 प्रस्तुत की गई थी, जिसकी कोई सूचना अनावेदक क्र. 1 को नहीं दी गई थी तथा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.01.2004 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संशोधन निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करे। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य बहस के पश्चात् आदेश पारित किया और प्रश्नाधीन भूमि यथावत् अनावेदक क्र. 1 के पक्ष में भूमिस्वामी अधिकारों में बनी रही। आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 04.09.2017 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.12.2016 निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) निगरानीकर्ता को अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय में हुई कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं हुई एवं न ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति या पैरवी हेतु किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। इस कारण से निगरानीकर्ता अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका एवं अनावेदक क्र. 1 द्वारा सांठ-गांठ कर निगरानीकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से वंचित किया गया। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिस्थितियों का सूक्ष्मता से अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि यदि अनावेदक क्र. 2 एवं निगरानीकर्ता को यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक

09.01.2004 की तनिक भी जानकारी होती तो इसी विषय बिन्दु पर पुन: प्रकरण क्यों संसिथत करते। इस कारण भी आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरण 33/अपील/98-99 आदेश दिनांक 09.01.2004 एवं प्रकरण क्रमांक 35/अपील/15-16 आदेश दिनांक 31.12.2016 में संशोधन नामांतरण पंजी क्र. 21 प्रमाणित दिनांक 30.03.1994 को निरस्त किया गया है एवं यह माना है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पंजी पर नामांतरण कर भारी भूल कारित की है। साथ ही विवादित भूमि पैतृक भूमि होने के नाते निगरानीकर्ता तथा अन्य अनावेदकों को सुने जाना आवश्यक था। इन सभी तथ्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार किये जाने की भूल की है, जो कि निरस्ती योग्य है।

(4) आयुक्त द्वारा इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है एवं गलत प्रक्रिया से राजस्व निरीक्षक से सांठ-गांठ कर विधि विरूद्ध तरीके से नामांतरण पंजी पर नामांतरण करवा लिया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया तथा कुर्बान अली के सभी वैध उत्तराधिकारियों को उनके स्थान पर बराबर-बराबर का हिस्सा व नाम नामांतरण किये जाने का आदेश दिया, जो कि विधिसंगत है पर आयुक्त द्वारा इन सब तथ्यों पर ध्यान न देकर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है, वह निरस्ती योग्य है।

(5) भू-राजस्व संहिता के प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख है कि वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले में विधिवत प्रकरण दर्ज किया जाकर साक्ष्य आदि ली जाकर संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों, उत्तराधिकारियों को सुना जाकर आदेश पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने दोनों आदेशों में इस बात का उल्लेख करते हुए पंजी क्र. 21 आदेश दिनांक 30.03.1994 को निरस्त किया है। इसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जाता तो न्यायोचित होता, परंतु अपील स्वीकार कर भारी भूल की है, जो कि निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक क्र. 1 को निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी के आधार का चरण क्र. 2 का कथन पूर्ण रूप से झूठा एवं असत्य होने से अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि "निगरानकर्ता को अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय में हुई कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं हुई एवं न ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति या पैरवी हेतु किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। इस कारण से निगरानीकर्ता अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका एवं अनावेदक क्र. 1 द्वारा सांठ-गांठ कर निगरानीकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से वंचित किया गया। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।" सत्यता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील में हुई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी (जो कि उक्त अपील में अनावेदक क्र. 2 है) को थी इसी कारण उक्त अपील में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 25.04.2017 की पेशी पर अपने अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर साहब को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया एवं उसी दिनांक को अनावेदक क्र. 4 (जो कि उक्त अपील में अनावेदक क्र. 4 है) ने भी अभिभाषक प्रेम सिंह ठाकुर साहब को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया, जिसका उल्लेख आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई उक्त अपील की आदेश पत्रिका दिनांक 25.04.2017 में स्पष्ट रूप से किया गया है। इस प्रकार आवेदक एवं अनावेदक क्र. 4 दोनों की ओर से आयुक्त न्यायालय में अपील क्र. 71/2016-17 में दिनांक 25.04.2017 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक द्वारा अनावेदक क्र. 2 के पक्ष में अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि का हक त्याग दिनांक 02.02.2017 ई-रजिस्ट्री क्र. एम.पी 292662017ए1045861 के द्वारा उप पंजीयक कार्यालय, गैरतगंजसे एक हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड करवाया गया है। उक्त त्याग पत्र के पश्चात् आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने का या कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहा, किन्तु उक्त त्याग पत्र के पश्चात् आवेदक द्वारा इस न्यायालय को भी धोखे में रखकर न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट करने एवं

अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया हर्जाने के साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अनावेदक क्र. 1 के दादा, आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता स्व. कुबार्न अली के द्वारा अपने जीवनकाल में अनावेदक क्र. 3 एवं अन्य समस्त भाई बहनों को भूमि खसरा क्र. 2/1/4/1 रकबा 28.33, एकड़ भमि खसरा क्र. 32/4/1 रकबा 20.00, खसरा क्र. 4/1 रकबा 20.58 एकड़, खसरा क्र. 4/2 रकबा 10.00 एकड़, खसरा क्र. 6 रकबा 3.67 एकड़ कुल भूमि 82.58 एकड़ भूमि स्थित ग्राम गोंडीपुरा, कस्बा गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन में सभी को दी गई थी, जिसका पारिवारिक बंटवारा पूर्व में हो गया था। इसी आधार पर आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय कर क्रेतागण से अपने अपने हिस्से की भूमि की विक्रय राशि प्राप्त कर ली है।

(4) अनावेदक क्र. 1 के दादा, आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता स्व. श्री सै. कुरबान अली साहब के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी इच्छा व खुशी से अपनी स्वयं की भूमि अपने पोते सै. जावेद अली अनावेदक क्र. 1 को रजिस्टर्ड वसीयतनामे के द्वारा भूमि खसरा क्र. 100/1, 101 सं 107 एवं 113 रकबा 10.34 एकड़ भूमि स्थित कस्बा गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन में दी गई। आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि को अनावेदक क्र. 1 के नाम आदेश दिनांक 30.03.1994 के द्वारा पंजी क्र. 21 पर तहसील गैरतगंज में दर्ज की गई, जिसकी जानकारी आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 को उसी समय से है एवं उसी समय से आज दिनांक तक अनावेदक क्र. 1 उक्त भूमि का लगान आदि बराबर नियमित रूप से जमा कर रहा है। इसकी जानकारी भी आवेदक एवं समस्त अनावेदकगण को पूर्ण रूप से है।

(5) आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी पर आवेदक ने स्वयं अपने हस्ताक्षर नहीं किये है। सत्यता यह है कि यह निगरानी अनावेदक क्र. 2 द्वारा अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थि अपने पूर्व अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत कराई गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का हक त्याग अनावेदक क्र. 2 के पक्ष में दिनांक 02.02.2017 को कर दिया गया और आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का हक व त्याग करने के पश्चात् उसे हक त्याग की गई संपत्ति के संबंध में

किसी भी प्रकार की कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार शेष नहीं रह जाता है। इसलिए आवेदक की निगरानी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अनावेदक क्र. 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक क्र. 3 को निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी के आधार का चरण क्र. 2 का कथन पूर्ण रूप से झूठा एवं असत्य होने से अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि "निगरानकर्ता को अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय में हुई कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं हुई एवं न ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति या पैरवी हेतु किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। इस कारण से निगरानीकर्ता अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका एवं अनावेदक क्र. 1 द्वारा सांठ-गांठ कर निगरानीकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से वंचित किया गया। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।" सत्यता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील में हुई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी (जो कि उक्त अपील में अनावेदक क्र. 2 है) को थी इसी कारण उक्त अपील में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 25.04.2017 की पेशी पर अपने अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर साहब को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया एवं उसी दिनांक को अनावेदक क्र. 4 (जो कि उक्त अपील में अनावेदक क्र. 4 है) ने भी अभिभाषक प्रेम सिंह ठाकुर साहब को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया, जिसका उल्लेख आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई उक्त अपील की आदेश पत्रिका दिनांक 25.04.2017 में स्पष्ट रूप से किया गया है। इस प्रकार आवेदक एवं अनावेदक क्र. 4 दोनों की ओर से आयुक्त न्यायालय में अपील क्र. 71/2016-17 में दिनांक 25.04.2017 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अत: आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक द्वारा अनावेदक क्र. 2 के पक्ष में अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि का हक त्याग दिनांक 02.02.2017 ई-रजिस्ट्री क्र. एम.पी 292662017ए1045861 के द्वारा उप पंजीयक कार्यालय, गैरतगंजसे एक हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड करवाया गया है। उक्त त्याग पत्र के पश्चात् आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने का या कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही

करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहा, किन्तु उक्त त्याग पत्र के पश्चात् आवेदक द्वारा इस न्यायालय को भी धोखे में रखकर न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट करने एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया हर्जाने के साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अनावेदक क्र. 3 के दादा एवं उसके अन्य भाई बहनों, आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता स्व. कुबार्न अली के द्वारा अपने जीवनकाल में अनावेदक क्र. 3 एवं अन्य समस्त भाई बहनों को भूमि खसरा क्र. 2/1/4/1 रकबा 28.33, एकड़ भमि खसरा क्र. 32/4/1 रकबा 20.00, खसरा क्र. 4/1 रकबा 20.58 एकड़, खसरा क्र. 4/2 रकबा 10.00 एकड़, खसरा क्र. 6 रकबा 3.67 एकड़ कुल भूमि 82.58 एकड़ भूमि स्थित ग्राम गोंडीपुरा, कस्बा गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन में सभी को दी गई थी, जिसका पारिवारिक बंटवारा पूर्व में हो गया था। इसी आधार पर आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय कर क्रेतागण से अपने अपने हिस्से की भूमि की विक्रय राशि प्राप्त कर ली है।

(4) अनावेदक क्र. 3 एवं उसके अन्य तीन भाई बहनों, आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता स्व. श्री सै. कुरबान अली साहब के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी इच्छा व खुशी से अपनी स्वयं की भूमि अपने पोते सै. जावेद अली अनावेदक क्र. 1 को रजिस्टर्ड वसीयतनामे के द्वारा भूमि खसरा क्र. 100/1, 101 सं 107 एवं 113 रकबा 10.34 एकड़ भूमि स्थित कस्बा गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन में दी गई। आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि को अनावेदक क्र. 1 के नाम आदेश दिनांक 30.03.1994 के द्वारा पंजी क्र. 21 पर तहसील गैरतगंज में दर्ज की गई, जिसकी जानकारी आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 को उसी समय से है एवं उसी समय से आज दिनांक तक अनावेदक क्र. 1 उक्त भूमि का लगान आदि बराबर नियमित रूप से जमा कर रहा है। इसकी जानकारी भी आवेदक एवं समस्त अनावेदकगण को पूर्ण रूप से है।

6/ अनावेदक क्र. 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक क्र. 4 को निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी के आधार का चरण क्र. 2 का कथन पूर्ण रूप से झूठा एवं असत्य होने से अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि "निगरानकर्ता को अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय में हुई कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं हुई एवं न ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति या पैरवी हेतु किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। इस कारण से निगरानीकर्ता अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका एवं अनावेदक क्र. 1 द्वारा सांठ-गांठ कर निगरानीकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से वंचित किया गया। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।" सत्यता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील में हुई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी (जो कि उक्त अपील में अनावेदक क्र. 2 है) को थी इसी कारण उक्त अपील में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 25.04.2017 की पेशी पर अपने अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर साहब को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया एवं उसी दिनांक को अनावेदक क्र. 4 (जो कि उक्त अपील में अनावेदक क्र. 4 है) ने भी अभिभाषक प्रेम सिंह ठाकुर साहब को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया, जिसका उल्लेख आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई उक्त अपील की आदेश पत्रिका दिनांक 25.04.2017 में स्पष्ट रूप से किया गया है। इस प्रकार आवेदक एवं अनावेदक क्र. 4 दोनों की ओर से आयुक्त न्यायालय में अपील क्र. 71/2016-17 में दिनांक 25.04.2017 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक द्वारा अनावेदक क्र. 2 के पक्ष में अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि का हक त्याग दिनांक 02.02.2017 ई-रजिस्ट्री क्र. एम.पी 292662017ए1045861 के द्वारा उप पंजीयक कार्यालय, गैरतगंजसे एक हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड करवाया गया है। उक्त त्याग पत्र के पश्चात् आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने का या कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहा, किन्तु उक्त त्याग पत्र के पश्चात् आवेदक द्वारा इस न्यायालय को भी धोखे में रखकर न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट करने एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया हर्जाने के साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अनावेदक क्र. 3 एवं उसके अन्य भाई बहनों, आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता स्व. कुबार्न अली के द्वारा अपने जीवनकाल में अनावेदक क्र. 4 एवं अन्य समस्त भाई बहनों को भूमि खसरा क्र. 2/1/4/1 रकबा 28.33, एकड़ भमि खसरा क्र. 32/4/1 रकबा 20.00, खसरा क्र. 4/1 रकबा 20.58 एकड़, खसरा क्र. 4/2 रकबा 10.00 एकड़, खसरा क्र. 6 रकबा 3.67 एकड़ कुल भूमि 82.58 एकड़ भूमि स्थित ग्राम गोंडीपुरा, कस्बा गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन में सभी को दी गई थी, जिसका पारिवारिक बंटवारा पूर्व में हो गया था। इसी आधार पर आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय कर क्रेतागण से अपने अपने हिस्से की भूमि की विक्रय राशि प्राप्त कर ली है।

(4) अनावेदक क्र. 4 एवं उसके अन्य भाई बहनों, आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता स्व. श्री सै. कुरबान अली साहब के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी इच्छा व खुशी से अपनी स्वयं की भूमि अपने पोते सै. जावेद अली अनावेदक क्र. 1 को रजिस्टर्ड वसीयतनामे के द्वारा भूमि खसरा क्र. 100/1, 101 सं 107 एवं 113 रकबा 10.34 एकड़ भूमि स्थित कस्बा गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन में दी गई। आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि को अनावेदक क्र. 1 के नाम आदेश दिनांक 30.03.1994 के द्वारा पंजी क्र. 21 पर तहसील गैरतगंज में दर्ज की गई, जिसकी जानकारी आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 से 6 को उसी समय से है एवं उसी समय से आज दिनांक तक अनावेदक क्र. 1 उक्त भूमि का लगान आदि बराबर नियमित रूप से जमा कर रहा है। इसकी जानकारी भी आवेदक एवं समस्त अनावेदकगण को पूर्ण रूप से है।

अत: अनावेदकगण द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त ने सशर्त आदेश दिया है, जबकि संहिता के प्रावधान अनुसार उन्हें प्रत्यावर्तन का अधिकार नहीं था। आयुक्त को स्वयं प्रकरण क्रमांक 33/अपील/98-99 आदेश दिनांक 09.01.2004 बुलाकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना था।

अत: प्रकरण आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सभी अभिलेखों का अवलोकन कर स्वयं स्पष्ट आदेश पारित करे।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण आयुक्त को निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर